



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

45AA 782199

7/5/10

मीनाक्षी

मीनाक्षी



5-4-14
योगेश प्रसाद शर्मा
एडवोकेट & को.
मन्सूर (म.प्र.)



निर्वाचनों का संचालन नियम, 1981

प्रा.सं. 26
(नियम 2 क देखिए)
1950 5-4-19
कम्प्यूटर्स



योगेश प्रसाद शर्मा
एडवोकेट & नोटरी
मन्सौर (म.प्र.)

निर्वाचन क्षेत्र से

23 मन्सौर संसदीय क्षेत्र

लोकसभा

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

(सर्वतम का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग - क
ने मिनाक्षी ** पुत्र/पुत्री/पत्नी मुकुटापांडे आयु 34 वर्ष, जो
ने 03 पुरानी बानी की टंकी के पास पिपपलियाथंकी मन्सौर
(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हैं, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हैं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता
हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ

(1) मैं स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ। (*राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी /
एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(2) मेरा नाम 23 मन्सौर संसदीय क्षेत्र 225 मन्सौर निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 79 के
क्रम संख्या 199 पर नमूद है।

(3) मेरा सीमांक टेलीफोन नं. 9425123470 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) है। मेरा संपर्क निम्नलिखित (यदि कोई हो तो) है।

(4) स्याई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्योरे और ऑन-कर विवरणी फाईल करने की प्रास्थिति :-

क्रम संख्या	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिराके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपएं में)
1	स्वयं	मिनाक्षी	लागू नहीं	लागू नहीं
2	पति कु-पत्नी	मुकुटा	लागू नहीं	लागू नहीं
3	आश्रित - 1	खारका	लागू नहीं	लागू नहीं
4	आश्रित - 2	बलानी	लागू नहीं	लागू नहीं
5	आश्रित - 3	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

5-4-19
योगेश प्रसाद शर्मा
एडवोकेट & नोटरी
मन्सौर (म.प्र.)

मिनाक्षी

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/का अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी/ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/का अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	लापु नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	लापु नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और सजाान लेने के आदेश की तारीख।	लापु नहीं
(घ)	न्यायालय जिराके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लापु नहीं
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	लापु नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा शेकी गई है/हैं।	लापु नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा सजाान लिया गया है [पूर्वोक्त गद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और सजाान लेने के आदेश की तारीख	लापु नहीं
(ख)	उन मामले के ब्यौरे जहां न्यायालय ने सजाान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सजाान लिया गया है।	लापु नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	लापु नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है।

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप से सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादेश दिया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :-

8-5-14
 कोषीय प्रशासन
 मन्सूरगढ़ 3 नगर
 मन्सूरगढ़ (राज.)

अभिसाक्षी

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष उठराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उक्त मामले के ब्यारे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष उठराया गया है।	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)।	लागू नहीं
(ग)	अधिरोधित दंड।	लागू नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष उठराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यारे और वर्तमान प्रस्थिति।	लागू नहीं लागू नहीं

(7) मैं मेरे मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यारे नीचे देता हूँ :

(अ) जंगम आस्तियों के ब्यारे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वाभित्य की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम संख्या, रकम, जमा की तारीख, स्कीम बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यारे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहीनों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो परसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यारे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथक्तया दिए जाने हैं।

क्रमा सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	इंधन	30000	20000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यारे (नियत जमा, आर्थिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खातों, प्रीमियम, वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंक वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम)	679/59896	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यारे और रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

5-4-15
 वाजीद प्रसाद शर्मा
 एडवोकेट & लेखी

मीना श्री

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनियों में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/प्रोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान पस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(viii)	कोई अन्न आस्तियाँ जैसे कि धान/हित का मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ix)	समय कुल मूल्य	45678	56789	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ख) स्थान आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेन्ट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी (को)	आश्रित-1 पति/पत्नी	आश्रित-2 पत्नी/पति	आश्रित-3 पति/पत्नी
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लक्ष्यता। (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

योगेश प्रसाद शर्मा
एडवोकेट & नोटरी
लखनऊ (म.प्र.)

मीना शर्मा

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के चारों ओर नीचे देता हूँ :-
 (टिप्पण : - कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समस्त रकम के चारों ओर का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण.	स्वयं-	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टियों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य दायित्व	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	दायित्वों का कुल योग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	टेलिफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	आय-कर शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	धनकर शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सेवाकर शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विक्रयकर शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	कोई अन्य शोध्य.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है यदि हां, तो अंतर्वर्तित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(9) वृत्ति या उपजीविका के चारों ओर :-

(क) स्वयं गृहकार्य

(ख) पति या पत्नी मापडूरी

योगेश प्रसाद शर्मा
 एडवोकेट & नोटरी
 गढ़वा (न.प्र.)

मीना देवी

L

(10) भेरी शैक्षणिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है -

8 वीं कक्षा माध्यमिक विद्यालय मल्हाबाड़

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्योरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्योरा दें)

भाग - ख.

(11) भाग - क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्योरों का उद्घरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/श्री. गिनादी पति मुकुल पांडे
2	डाक का पूरा पता	पॉस्ट. वड. गली न. वड. पुरानी पानी की टंकी डेपार. विपक्षीय मंडी सिविल मेरठ
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	23 मेरठ (अ.प्र.)
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	स्वतंत्र
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप दिये गये हैं।	लागु नहीं
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने राजान लिया है (उल्लिखित मामलों से भिन्न)	लागु नहीं
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धांत ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	लागु नहीं

योगेश प्रसाद शर्मा
एडवोकेट & नोटरी
मल्हाबाड़ (अ.प्र.)

गिनादी

7 का स्थायी लेखा संख्या	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय			
(क) अस्थायी	मिनाली	लागु नहीं	लागु नहीं			
(ख) पति या पत्नी	मुकुण्ड	लागु नहीं	लागु नहीं			
(ग) आश्रित	सौरभ सलोनी	लागु नहीं	लागु नहीं			
B	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूप में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	जन्म आस्तियां (कुल मूल्य)		436791	54800	लागु नहीं	लागु नहीं
ख	स्थावर आस्तियां		लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
	I.	स्वार्जित स्थावर संपत्ति को क्रय कीमत	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
	II.	क्रय के पश्चात स्थावर संपत्ति का विकास/संनिर्माण लागत, यदि लागू हो	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
	 की	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
	III.	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
		(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
		(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
9	दायित्व		लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
	(I)	सरकारी शोध्य (कुल)	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
	(II)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं		लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
	(I)	सरकारी शोध्य (कुल)	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
	(II)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं

5-4-19
योगेश प्रसाद शर्मा
एडवोकेट & नोटरी
पुनर्पुर (म.प्र.)

मिनाली

11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता : (प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री / पाठ्यक्रम के पूर्ण स्वरूप का उल्लेख करने हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय / शिक्षा विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और पूर्ण विवरण पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें)	8वीं पाठ	मुख्य 12वीं पास मा.शि. मंडल	द्वितीय 10वीं पास मा.शि. मंडल	साक्षी 9वीं पास
----	--	----------	-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------

मीना शर्मा

सत्यापन :

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय - वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुरार संतुष्ट और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी त्रुटिक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से, भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख: 5/4/14 को सत्यापित किया गया।

मीना शर्मा
अभिसाक्षी

- टिप्पणी 1 - शपथ - पत्र प्रमाणपत्र फार्म करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे तक फाइल किया जाना चाहिए।
- टिप्पणी 2 - शपथ - पत्र भर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिये।
- टिप्पणी 3 - सभी स्तंभों को पूरा करना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिये कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति, "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पणी 4 - शपथ - पत्र टंकित या सुपाठ्य रूप से साफ साफ लिखित होना चाहिए।

मीना शर्मा

सत्यापन प्रमाण पत्र
अभिसाक्षी श्री मीना शर्मा
दिवासी 1448/9/30
5-4-14
15.310
7X52590982
3114 (134-15)
जोबल प्रसाद शर्मा
एडवोकेट & नोटरी
मन्डसौर (म.प्र.)